संख्या–772 / 9–आ–1–भूकम्परोधी / 2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अध्यक्ष,
विशेक्ष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

5. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी आवास संघ।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक : 13 फरवरी, 2001

विषयः नये भवन एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–570 / 9–आ–1–भूकम्परोधी / 2001 (आ.ब.) दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में उल्लिखित भवन जिन पर यह व्यवस्थाएं लागू होंगी, के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अवस्थापना सुविधाएं, चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो, पर भी यह व्यवस्थाएं लागू होंगी, यथा अस्पताल, छविगृह आडिटोरियम, सभा–भवन, शैक्षणिक संस्थाएं, बस–टर्मिनल यदि उनका भू–आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो।

2. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में उल्लिखित, आवश्यक अभिलेखों के सम्बन्ध में निम्न लिखित सुनिश्चित किये जायेंगे :–

क–1 भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भूस्वामी / बिल्डर, पंजीकृत आर्कीटेक्ट, के साथ–साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस डिजाइन इन्जीनियर, के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्प रोधी डिजाइन होने का प्रमाण पत्र परिशिष्ट–6 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जायेगा। इसके साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2001 के साथ संलग्न परिशिष्ट–3, बिल्डिंग इनफारमेशन शेड्यूल में उल्लिखित विवरण का सुसंगत अंश (इस ड्राइंग से सम्बन्धित) एक तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित किया जायेगा।

क–2 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए भवन मानचित्र के प्राविधानों में यदि नियत प्राधिकारी द्वारा मानचित्र परीक्षण कराने के उपरान्त कोई परिवर्तन / परिवर्धन कराया जाता है तो स्ट्रक्चरल तथा सर्विसेज डिजाइन में भी भूकम्परोधी प्राविधानों का तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन स्ट्रक्चरल इन्जीनियर से पुनः कराकर मानचित्र पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय जिसमें भी उपरोक्त क–1 अनुसार प्रमाण पत्र तथा बिल्डिंग इन्फारमेशन शिड्यूल का सुसंगत अंश अंकित होगा एवं अंतिम रूप से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2001 के प्रस्तर–5 में उल्लिखित स्वीकृति की शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी रखी जायेगी :–

ख–1 भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हों, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूपसे यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख–2 भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण समाग्रियों सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईंटें कोर्स सैण्ड एवं मार्टर तथा कन्ट्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निमार्ण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

ख–3 निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय–समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ग– यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नही किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में ने केवल पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

घ– कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट X 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा जिसपर भवन निर्माण कर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एंव सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सकें। निर्माण कार्य से संबंधित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :–

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
(2) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिर्पोट एंव प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
(3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एंव भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित समस्त मानचित्र एंव स्ट्रक्चरल डिटेल।
(4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एंव मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सेक्शन एंव एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।
(6) साईट इन्जीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 772 (1)/9–आ–1–भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तरांचल को इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–570/9–आ–1–2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) आवास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 772 (2)/9–आ–1–भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 570/9–आ–1–2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) आवास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषितः–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, उर्जा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, नगरीय क्षेत्र, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 772 (3)/9–आ–1–भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासनादेश संख्या 720/9–आ–1–2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) की प्रति के साथ उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 772 (4)/9–आ–1–भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 570/9–आ–1–2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

Annexure-6

(Certificate to be given in each building Plan to be submitted for sanction)
It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant Indian Standard codes, National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-2 of Housing Department of Goverment of Uttar Pradesh vide G.O. No. 570/9-A-1-Bhookamp Rodhi/2001 (A.B.) Dated February 3, 2001.

Signature of owner Signature of the Structural Signature of the Service

With date Engineer who had prepared the Engineer who had prepared

Design with date service designs with date.

Name (Block) ..... Name (Block)..... Name (Block) .....

Address Legible Seal (with address) Legible Seal (with address)

Signature of the Architect who had prepared the

plans & design with date.

Name (Block).....

COA Registration No.

Legible Seal (with address)